

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 01 / 2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025 / 2

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज) बनाम

श्री कैलाश माहेश्वरी पुत्र श्री कन्हैयालाल
निवासी सिद्धि विनायक कोलोनी, घाटोल
(विक्रेता / मालिक) मैसर्स अंकित नमकीन
भण्डार, घाटोल प्रतापगढ़ रोड, बांसवाड़ा
(राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 07-04-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 22-01-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 23-10-2024 को 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स अंकित नमकीन भण्डार, घाटोल प्रतापगढ़ रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कैलाश माहेश्वरी पुत्र श्री कन्हैयालाल उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स अंकित नमकीन भण्डार, घाटोल प्रतापगढ़ रोड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) 15 किलोग्राम एक कट्टे में रखा पाया। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) 2 किग्रा को 4 के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1959 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/492 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1293 दिनांक 04-11-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमुना कोड क्रमांक **W-1959** Contains extraneous matter food under section 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22-01-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

07-04-2025 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।


हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/492 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1293 दिनांक 04-11-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमुना कोड क्रमांक **W-1959** Contains extraneous matter food

न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)

under section 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत Contains extraneous matter नमकीन (रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 54 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री कैलाश माहेश्वरी पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी सिद्धि विनायक कोलोनी, घाटोल (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स अंकित नमकीन भण्डार, घाटोल प्रतापगढ रोड, बांसवाडा (राज.) को 3000/- (अक्षरे रू तीन हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 07-04-2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बासवाडा (राज.)